

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) चूरु

### कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा तृतीय वेतन शृंखला पुस्तकालयध्यक्ष पद हेतु भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित निम्न अभ्यर्थियों को श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102/पु.अ.ग्रेड.III/सी.भ./2016 दिनांक 27.11.2017 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा दिनांक 03.12.2017 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर एवं अनुपस्थित रहे आशार्थी को प्रदर्शित शेष रहे रिक्त पद पर तृतीय वेतन शृंखला पुस्तकालयध्यक्ष के पद पर वेतन शृंखला रिवाइज्ड पे मैट्रीक्स लेवल (वेतन लेवल) 10 में नाम के सगुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) विधम 2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/- (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।


सम्बन्धित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे -

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल स्वस्था प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ 7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10/ रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थियों से 10/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी करावे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजावाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेथर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।

6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल, आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
7. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लखित एस.बी. सिविल याचिका संख्या 8555/2017, 11523/2017, 10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीय रहते हुए की जावे।
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे।
9. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित /प्रमाणीकरण की पृष्टि करने एवं उनकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवावे।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 10 रु नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
11. कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 23.12.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः की निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

संलग्न- आदेश सं. -01 एवं 02

  
(पितराम सिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक, चूरू

दिनांक 03-12-17

क्रमांक : जिशिअ/गा/चूरू/संस्था-3/फा.नियु.पु.अ./सीधी भर्ती-16/2017

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. श्रीमान् उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू।
8. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू।
9. सम्बन्धित संस्थाप्रधान .....
10. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
11. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

  
(पितराम सिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक, चूरू

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) चूरु

क्रमांक : जिशिअ/गा/चूरु/संस्था-3/फा.नियु.पु.अ./सीधी भर्ती-16/2017

दिनांक 03-12-17

पुस्तकालयध्यक्ष ग्रेड-गा भर्ती 2016 में राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापन हेतु काउंसिलिंग में विकल्प के आधार पर पदस्थापन सूची

आदेश सं. - 01

क्र.सं.		नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थायी पता	वर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	201	RASHMI GANGWAR	SUBHASH GANGWAR	द्वारा श्री सरवेश चन्द्र गवार मकान नं. 21 भौहल्ला पाठक, काथगंज, फरुखाबाद ज.प्र.	GEN	23-08-90	GENF	जनकल्याण राबाउमावि छपर (सुजानगढ़)
2	11	GANESH KUMAR SONI	SITA RAM SONI	रोडवेज बस डिपो के पिछे, गायत्री नगर, वार्ड नं. 19, सरदारशहर जिला चूरु	OBC	20-12-95	GENM	राउमावि मालसर (सरदारशहर)
3	18	GIRDHAREL	MEGHA SINGH	ग्राम पो. इयारा तह. बीदासर जिला चूरु	GEN	20-08-85	GENM	राउमावि जीली (सुजानगढ़)
4	35	ROHITASH SINGH	BHAGWAN SINGH	ग्राम पोरर बिरकाली, तह नोहर जिला हनुमानगढ़	GEN	15-05-90	GENM	राउमावि रैयाडुण्डा (तारानगर)
5	72	BAL RAJ	BHADER SINGH	ग्राम पो. मुन्सारी त. भादारा जिला हनुमानगढ़	OBC	02-11-89	GENM	राउमावि पुनसीसर (तारानगर)
6	99	RAJENDRA KUMAR	JAI SINGH POONIA	ग्राम पो. धापी गौजी, तह. राजगढ़ जिला चूरु	OBC	08-12-83	GENM	राउमावि सांलू (तारानगर)
7	124	MANGILAL CHOUDHARY	JETHA RAM CHOUDHARY	भैरवान जी के बंगले के पिछे रानीबाजार, बीकानेर	OBC	22-06-78	GENM	राउमावि बीनादेसर (रतनगढ़)
8	199	SANWAR MAL	CHANDA RAM TARD	विशोई बास नोखा रोड वार्ड नं. 2 ग्राम जरासर त. नोखा जिला बीकानेर	OBC	01-07-88	OBCM	राउमावि मलसीसर (सुजानगढ़)
9	213	SUSHIL KUMAR BERWAL	MANSUKH RAM BERWAL	वार्ड नं. 17 पुलिस स्टेशन के पास पो. मुकन्दगढ़ जिला झुंझुनू	SC	01-07-83	SCM	राउमावि सीतुसर (रतनगढ़)
10	218	VISHAL CHOUDHARY	HANUMAN CHOUDHARY	मकान नं. एक-417 गुरलीधर द्वारा नगर, बीकानेर	OBC	19-05-89	OBCM	राउमावि जेगनियां बीदावतान (रतनगढ़)
11	441	ANIL KUMAR	GORDHAN RAM	गांव रसोडा पो. भीमसर जिला झुंझुनू	SC	15-07-83	SCM	राउमावि राजासर बीकान (सरदारशहर)
12	805	NAND LAL MEENA	REWAD MAL MEENA	श्रीरामचन्द्रपुरा पो. कालवास तह. रामगढ़ पंचवारा जिला दौसा	ST	02-04-88	STM	राउमावि नेडवा (तारानगर)

(पितराम सिंह)  
जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक, चूरु


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) चूरु

क्रमांक : जिशिअ/मा/चूरु/संस्था 3/का.नियु.पु.अ./सीधी मर्ती 16/2017

दिनांक: 03-12-17

आदेश सं. -02

क्र.स.	वरियता। क्रमसंक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थायी पता	वर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	98	REENA RANI	SATNAM SAINI	523/5 नं.द कॉलोनी नं. 2 नियर आईसीआईसीआई बैंक, कायथला रोड, पेहोआ, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	GEN	08-05-89	GENF	राउमावि बोधेरा(सरदारशहर)

  
(पितराम सिंह)  
जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक, चूरु